मध्यप्रदेश
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण
तृतीय बैठक कार्यसूची
दिनांक 12.07.2023

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

मध्यप्रदेश
राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

तृतीय बैठक

कार्यसूची - अनुक्रम

एजेण्डा	विवरण	पृष्ठ
एजेण्डा 3.1	द्वितीय बैठक दिनांक 01.02.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	3
एजेण्डा 3.2	द्वितीय बैठक के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन।	3-4
एजेण्डा 3.3	प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण।	5-6
एजेण्डा 3.4	प्राधिकरण के समस्त न्यायालयीन प्रकरण एवं प्राप्त शिकायतों की वस्तुस्थिति से अवगत करना।	7
एजेण्डा 3.5	जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के गठन से संबंधित अद्यतन स्थिति से अवगत करना।	8
एजेण्डा 3.6	NPCA कार्यक्रम अंतर्गत वेटलैण्ड संरक्षण एवं प्रबंधन की स्वीकृत योजनाओं (धार वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स, धार एवं गिरवर तालाब, शाजापुर) के संबध में अवगत करना।	8
एजेण्डा 3.7	तीन नवीन रामसर साइट्स के संबंध में अवगत करना।	9
एजेण्डा 3.8	प्रदेश के रामसर साइट्स एवं महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को अधिसूचित करने के संबंध में।	9-11
एजेण्डा 3.9	खातियार गिर ईको रीजन, चंबल अभ्यारण्य अंतर्गत वेटलैण्ड को नवीन रामसर साइट Designate करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।	12
एजेण्डा 3.10	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।	13

एजेण्डा 3.1 द्वितीय बैठक दि. 01.02.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

- राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 01.02.2022 को संपन्न हुई।
- बैठक के कार्यवाही विवरण पर सदस्यों की कोई टीप प्राप्त नहीं होने के दृष्टिगत पुष्टि की जाना प्रस्तावित है।

» **प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत।**

एजेण्डा 3.2 द्वितीय बैठक के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन

एजेण्डा क्र.	प्राप्त निर्देश	कार्यवाही
2.1	– **प्रथम बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए।	कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
2.2	– **प्रथम बैठक के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए।	कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
2.3	– **महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण** सम्माननीय सदस्य अवगत हुए।	कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
2.4	– **NPCA कार्यक्रम अंतर्गत वेटलैण्ड्स के संरक्षण एवं प्रबंधन की प्रस्तावित योजना (गिरवर तालाब, शाजापुर) को MoEF&CC, GoI भेजने हेतु अनुमोदन** सम्माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।	कोई अनुवर्ती कार्यवाही अपेक्षित नहीं।
2.5	– **वेटलैण्ड नियम 2017 अनुसार राज्य के चिन्हित वेटलैण्ड्स को अधिसूचित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन** सम्माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	अनुमोदन अनुसार संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं प्राधिकरण द्वारा भोपाल में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में संबंधित निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही सुझाव अनुसार तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ऐसे 06 तालाबों के संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।
2.6	– **तवा जलाशय, होशंगाबाद को रामसर संधि के अंतर्गत Designate करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन** सम्माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	तवा जलाशय के तकनीकी दस्तावेज (RSIS) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। कुछ और अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने हेतु स्थल भ्रमण किया गया। साथ ही MoEF&CC, GoI को लॉगिन पासवर्ड प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2.7	– **राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु सेटअप एवं मानव साधन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन** सुदृढीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया।	राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के द्वारा प्रदत्त अनुमोदनानुसार प्राधिकरण के सेटअप के पदों को विज्ञापित कर एक निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं वैज्ञानिक सहायक के पदों पर संविदा नियुक्तियां की गयी।
2.8	– **भोज वेटलैण्ड एवं इसके Zone of Influence मानचित्रों का अनुमोदन एवं तदनुसार Restricted, Regulated & Permitted गतिविधियों का चिन्हांकन एवं अनुमोदन** माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	• अनुमोदनानुसार भोज वेटलैंड में वेटलैंड नियम 2017 के पालन हेतु भोज वेटलैंड एवं उसके Zone of Influence (ZoI) के मानचित्र एवं तीन प्रकार की गतिविधियों **(**Prohibited, Regulated & Permitted Activities**)** को चिन्हांकित कर पर्यावरण विभाग**,** म.प्र. शासन द्वारा प्रशासकीय आदेश क्र. 302/ /233/2022/32-3 दि**.** 16.03.2022 को जारी किया गया। • राज्य शासन द्वारा प्रसारित उक्त आदेश से संबंधित एक जनहित याचिका मान. उच्च न्यायालय**,** जबलपुर में विचाराधीन है।
2.9	– **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय** जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति का गठन	• राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति का गठन पर्यावरण विभाग**,** म. प्र. शासन के आदेश दिनांक 09.03.2022 (संशोधित दिनांक 26.08.2022) के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया। • समिति को क्रियाशील करने हेतु मान. मंत्री जी पर्यावरण विभाग**,** म.प्र. शासन के निर्देशानुसार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मान. मंत्री जी द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर्स को जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति को सक्रिय करने हेतु पत्र एवं जानकारी का विवरण (ब्रोशर) प्रेषित किया गया है । प्रदेश के **22** जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर समिति का गठन किया गया। प्राधिकरण स्तर पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

» **पालन प्रतिवेदन प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 3.3 प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्यो का प्रस्तुतीकरण

प्राधिकरण द्वारा 01.02.2022 के उपरांत सम्पन्न प्रमुख कार्यों का विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है -

1. भोज वेटलैंड में वेटलैंड नियम 2017 के पालन हेतु भोज वेटलैंड एवं उसके Zone of Influence (ZoI) के मानचित्र एवं तीन प्रकार की गतिविधियों (Prohibited, Regulated & Permitted Activities) का चिन्हांकन कर पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2022 को आदेश जारी किया गया।

2. भारत सरकार के सहयोग से संक्षिप्त प्रतिवेदन के निर्माण एवं वेटलैंड पोर्टल डाटा प्रबंधन विषय पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा एवं मध्यप्रदेश की एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

3. विश्व वेटलैंड्स दिवस 2023 के अवसर पर सभी 04 रामसर साइट्स स्थलों पर विशेष रूप से Flag Hoisting, Signage Board, Wetland Pledge तथा NPCA क्रियान्वित 06 जिलों में Essay and Quiz Competition, Wetland Expert Talk & Walk and Plantation आदि जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसमें लगभग 500 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

4. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एवं वन विहार, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में भोज वेटलैंड विंटर बर्ड काउंट 2021-22 कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतिवेदन प्रकाशित एवं वर्ष 2022-23 में पुन: आयोजन किया गया है।

5. जिनेवा स्विट्जर्लैंड में आयोजित रामसर CoP 15 में Integrated approaches for Bhoj Wetland Restoration विषय पर परिचर्चा में आमंत्रित। ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की गयी।

6. संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) पूर्व Executive Director Mr. Erik Solheim के साथ जल तरंग, वेटलैण्ड इन्टरप्रिटेशन सेन्टर पर वेटलैण्ड से संबंधित विषयों पर परिचर्चा का आयोजन किया गया।

7. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के सेटअप का अनुमोदन प्राप्त कर सहायक वैज्ञानिक अधिकारी एवं वैज्ञानिक सहायक के पदों पर संविदा नियुक्तियां की गयी।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय एवं GIZ, New Delhi (Govt of Germany bilateral funding agency) द्वारा देश के रामसर साइट्स के एकीकृत प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की सहभागिता।

राष्ट्रीय प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की द्वितीय बैठक में मध्य प्रदेश को इस परियोजना में सम्मिलित किया गया है।

इस संबंध में GIZ, New Delhi की तकनीकी टीम द्वारा दिनांक 13 से 15 मार्च 2023 के दौरान भोपाल भ्रमण कर राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एप्को के साथ परियोजना पर प्राथमिक चर्चा की गयी। इस परियोजना से राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रदेश के वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन, वैज्ञानिक अध्ययन, कार्य योजना निर्माण हेतु सहयोग प्राप्त होगा।

» **गतिविधियों का विवरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 3.4 प्राधिकरण के समस्त न्यायालयीन प्रकरणों एवं शिकायतों की वस्तुस्थिति से अवगत करना ।

माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय एनजीटी में विचाराधीन प्रकरण -

प्रदेश में स्थित वेटलैंड्स, तालाबों से सम्बंधित वर्तमान में कुल **09** सक्रिय प्रकरण हैं जो कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय NGT, भोपाल में विचाराधीन हैं।

03 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। **शेष 06** प्रकरण मा. NGT भोपाल में विचाराधीन है । प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्देशों अनुसार कार्यवाही संपन्न की जा रही है । समस्त प्रकरणों की अद्यतन स्थिति का **परिशिष्ट 'अ'** पर संलग्न है।

प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों / आवेदन / ज्ञापनों की अद्यतन स्थिति -

भोज वेटलैंड भोपाल में वेटलैंड नियम 2017 के परिपालन संबंधी एवं अन्य वेटलैंडस से सम्बंधित लगभग विभिन्न विषयों पर **44** अलग-अलग शिकायत/ज्ञापन/आवेदन जो विभिन्न एजेन्सियों, संगठनों एवं व्यक्ति विशेष से प्राप्त हुये, उन सभी प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी। उक्त प्रकरणों में से **04 प्रकरणों** का निवारण किया जा चुका है। नगर निगम, भोपाल एवं अन्य सम्बंधित विभागों से **15 प्रकरणों** के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के दृष्टिगत स्मरण पत्र भेजे गए। शेष आवदेन शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। समिति के सुझाव अनुसार शिकायत से संबंधित विभागों / एजेन्सियों को बैठक में आमंत्रित कर शिकायतों का निवारण करने तथा वस्तुस्थिति प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया।

शिकायत समिति की बैठक दिनांक 13.04.2023 की बैठक के उपरांत अभी तक कुल **11 शिकायतें** प्राप्त हुयी हैं। समिति की अनुशंसा अनुसार उक्त शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग / एजेन्सी को अग्रेषित किया गया है। समस्त प्रकरणों की अद्यतन स्थिति का परिशिष्ट **'ब' संलग्न** है।

» **प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 3.5 जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति के गठन से संबंधित अद्यतन स्थिति से अवगत करना।

प्राधिकरण की द्वितीय बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि जल स्रोतों के संरक्षण के कार्यों में स्थानीय समाज, जिला प्रशासन को भी भागीदार बनाये जाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर जिला वेटलैंड संरक्षण समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की अनुशंसा अनुसार म. प्र. शासन पर्यावरण विभाग द्वारा आदेश क्रमांक/262/234/2022/32-3 भोपाल दिनांक 09.03.2022 (संशोधित दिनांक 26.08.2022) के माध्यम से जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति का गठन प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया।

उक्त समिति को जिला स्तर पर क्रियाशील करने हेतु माननीय मंत्री जी पर्यावरण विभाग**,** म. प्र. शासन की ओर से प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर्स को जिला वेटलैण्ड संरक्षण समिति की जानकारी संबंधी ब्रोशर एवं संशोधित आदेश सहित अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किये गये। प्रदेश के **22** जिलों में जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर समिति का गठन किया गया। शेष समस्त जिलों में समिति गठित करने हेतु दिनांक 14.06.2023 को पत्र प्रेषित किए गए।

» **प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 3.6 NPCA कार्यक्रम अंतर्गत वेटलैण्ड संरक्षण एवं प्रबंधन की स्वीकृत योजनाओं (धार वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स, धार एवं गिरवर तालाब, शाजापुर) के संबध में अवगत करना।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित NPCA योजनांतर्गत, धार वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स (धूप सागर, देवी सागर एवं मुंज सागर) तथा गिरवर तालाब, शाजापुर को संबंधित के माध्यम से 05 वर्षीय एकीकृत प्रबंधन परियोजना नगरीय निकायों के माध्यम से तैयार कर राज्य शासन की 40% राशि की सहमति उपरांत भारत सरकार को प्रेषित की गयी। प्रस्ताव अनुसार उक्त दोनों परियोजनाएं 60 : 40 के अनुपात में स्वीकृत की गयी हैं। धार वेटलैण्ड कॉम्प्लेक्स हेतु परियोजना राशि 37.14 करोड़ तथा गिरवर तालाब, शाजापुर हेतु 6.69 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गयी। वित्त विभाग, राज्य शासन द्वारा दोनों परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

» **प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 3.7 तीन नवीन रामसर साइट्स के संबंध में अवगत करना।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के प्रयासों से देश में 75 रामसर साइट्स हैं।

इस संदर्भ में प्रदेश के 03 वेटलैण्ड्स क्रमश: साख्य सागर, शिवपुरी, सिरपुर एवं यशवंत सागर, इन्दौर को रामसर संधि के अंतर्गत Designate करने के प्रस्ताव राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के अनुमोदन उपरांत माननीय मुख्य मंत्रीजी, म. प्र. शासन की स्वीकृति पश्चात् तकनीकी दस्तावेज (RSIS) In house तैयार कर भारत सरकार के समन्वय से रामसर सचिवालय को प्रस्तुत किए गए। तकनीकी दस्तावेजों का कई चरणों में तकनीकी परीक्षण किया गया।

यह गौरव का विषय है कि रामसर सचिवालय द्वारा प्रदेश के उक्त तीनों वेटलैण्ड्स को रामसर संधि के अंतर्गत Designate किया गया है। उक्त तीनों वेटलैण्ड्स के रामसर साइट्स के प्रमाण-पत्र विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्रियान्वयन संस्थाओं को प्रदान किए गए। इस उत्कृष्ठ कार्य हेतु एप्को की 12वीं साधारण सभा की बैठक में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्राधिकरण को बधाई दी गयी।

» <u>प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।</u>

एजेण्डा 3.8 प्रदेश के रामसर साइट्स एवं महत्वपूर्ण वेटलैंड्स को अधिसूचित करने के संबंध में

वेटलैंड नियम 2017 अनुसार एवं वेटलैंड नियम क्रियावयन मार्गदर्शिका 2020 अनुसार प्रदेश के 04 रामसर साइट्स क्रमशः भोज वेटलैंड भोपाल, साख्य सागर शिवपुरी, सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर को अधिसूचित किया जाना है। इस संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है।

रामसर साइट्स के अतिरिक्त प्रदेश के 6 वेटलैंड्स जिनके संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु NPCA योजना अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय निवेश किया गया अथवा किया जा रहा है, इन सभी 6 वेटलैंड्स को वेटलैंड नियम 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया भी जारी है।

इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी 4 रामसर साइट्स एवं NPCA योजना में शामिल 06 वेटलैंड्स को वेटलैंड नियम 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिसूचित किये जाने वाले कुल 10 वेटलैंड्स की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है-

क्र.	वेटलैंड का नाम	वस्तुस्थिति	अपेक्षित कार्यवाही
रामसर साइट्स			
1.	भोज वेटलैंड, भोपाल	भोज वेटलैण्ड में वेटलैंड नियम 2017 के पालन हेतु नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत भोज वेटलैण्ड एवं उसके Zone of Influence के मानचित्र तथा दूरियां संबंधी प्रस्ताव पर राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की अनुशंसा अनुसार राज्य शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2022 को प्रशासकीय आदेश जारी किया गया, जिसमें क्रमश: प्रतिबंधित, विनियमित एवं अनुज्ञात गतिविधियां शामिल हैं। उक्त प्रशासकीय आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर में एक जनहित याचिका विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय में शासन स्तर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है।	वेटलैण्ड नियम अंतर्गत वेटलैण्ड अधिसूचना हेतु संक्षित प्रतिवेदन नगर निगम, भोपाल एवं संबंधित विभाग के माध्यम से राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्राप्त होना अपेक्षित है। इस संदर्भ में नगर निगम, भोपाल एवं संबंधित विभाग को स्मरण पत्र प्रेषित किए गए हैं।
2.	साख्य सागर, शिवपुरी	साख्य सागर, शिवपुरी को वेटलैण्ड नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित करने हेतु संचालक, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी को संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं । जिसमें संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रारूप एवं मार्गदर्शिका संलग्न की गयी है।	संक्षिप्त प्रतिवेदन संपूर्ण जानकारी सहित संचालक, माधव नेशनल पार्क/ वन विभाग से प्राधिकरण को प्राप्त होने पर तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
3.	सिरपुर वेटलैंड, इन्दौर	सिरपुर वेटलैंड को वेटलैण्ड नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित करने हेतु आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर को संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रेषित करने हेतु पत्र भेजे गये हैं। नगर निगम, इन्दौर द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । उक्त प्रतिवेदन में संशोधन (मानचित्रों में) करने हेतु तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसा की गयी । अनुशंसा अनुसार संशोधन करने नगर निगम, इन्दौर को पत्र प्रेषित किया गया।	संशोधित संक्षिप्त प्रतिवेदन संपूर्ण जानकारी सहित नगर निगम, भोपाल एवं संबंधित विभाग के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त होने पर तकनीकी समिति के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
4.	यशवंत सागर, इन्दौर	यशवंत सागर को वेटलैण्ड नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित करने हेतु आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर को संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किये गये हैं। नगर निगम, इन्दौर द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के	संपूर्ण जानकारी सहित संशोधित संक्षिप्त प्रतिवेदन नगर निगम, भोपाल एवं संबंधित के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त होने पर

		माध्यम से संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रतिवेदन में संशोधन (मानचित्रों तथा सभी चैप्टर्स) करने हेतु तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसा की गयी। अनुशंसा अनुसार संशोधन करने नगर निगम, इन्दौर को पत्र प्रेषित किया गया।	तकनीकी समिति के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
NPCA योजना अंतर्गत वेटलैंड्स			
5.	माधव सागर, शिवपुरी	• संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र प्रेषित किए गए एवं समय-समय पर स्मरण पत्र भी प्रेषित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा भोपाल में कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें सभी नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग भी दिया जा रहा है साथ ही संक्षिप्त प्रतिवेदन के अंतर्गत आने वाले मानचित्र MPSEDC, भोपाल के सहयोग से तैयार किए जाने एवं जल-गुणवत्ता का आकलन क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कराने का सुझाव भी दिया गया है। I. वेटलैण्ड एवं उसके ZoI के मानचित्र MPSEDC के सहयोग से तैयार किए जा रहे हैं।	NPCA योजनांतर्गत आने वाले सभी वेटलैण्ड्स नगरीय निकायों के अंतर्गत हैं। नगरीय निकायों के माध्यम से संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को प्रेषित करने हेतु नगरीय निकायों को पत्र प्रेषित किए गए हैं साथ ही स्थल निरीक्षण किया गया। तदुपरांत नगरीय निकायों के माध्यम से प्रारूप संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रस्तावों को परीक्षण हेतु तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
6.	जाधव सागर, शिवपुरी		
7.	सिंध सागर, ईसागढ अशोक नगर		
8.	सागर तालाब, सागर		
9.	अमृत सागर, तालाब रतलाम		
10.	सीता सागर दतिया		

» **प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 3.9 खातियार गिर ईको रीजन, चंबल अभ्यारण्य अंतर्गत वेटलैण्ड को नवीन रामसर साइट Designate करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में अधिकाधिक वेटलैण्ड्स को रामसर संधि के अंतर्गत Designate करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में भारत में 75 वेटलैण्ड्स को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है इसके साथ ही प्रदेश में तीन नवीन रामसर साइट्स का दर्जा मिलने के उपरांत इनकी संख्या 04 हो गयी है। इस श्रेणी में वन विभाग, म. प्र. शासन द्वारा खातियार गिर ईको रीजन, चम्बल अभ्यारण्य का प्रस्ताव सहमति सहित प्राप्त हुआ है। **(संलग्न-2)**

उक्त वेटलैण्ड को रामसर साइट के रूप में Designate होने से पर्यावरण संरक्षण एवं जलीय स्रोतों, विशेषकर तालाबों के संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म. प्र. शासन की प्रतिबद्धता दर्शित होगी।

राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात, खातियार गिर ईको रीजन, चम्बल अभ्यारण्य का नाम व संबंधित संक्षिप्त जानकारी MoEF&CC, भारत सरकार को रामसर संधि के अंतर्गत Designate करने हेतु प्रेषित किया जाएगा तथा तकनीकी प्रतिवेदन (RSIS) तैयार कर पृथक से ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा।

» **प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

एजेण्डा 3.10 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

I. नगर निगम, भोपाल द्वारा, भोज वेटलैण्ड में मोटर चलित नावों / क्रूजों आदि को पर्यटन की दृष्टि से विनियमित गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित कर संशोधित आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

II. भोपाल की VIP रोड की विस्तारीकरण योजना के संबंध में म. प्र. सडक विकास निगम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव में प्राधिकरण से वेटलैण्ड में सडक निर्माण हेतु अनुमति चाही गयी है।

» **बिन्दु 'I' एवं 'II' प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत ।**